

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SAKET SPORTS COMPLEX
SAKET, NEW DELHI – 110017

No. F2(69)/SSC/DDA/Sports/Pt.file/693

Dated 15 /07/2019

Notice re-inviting quotation No 02

Sealed item rate quotations are re-invited on behalf of DDA by the Assistant Engineer (Civil) / SSC from professional sports coaches / agencies for conducting coaching in following sports disciplines for which facilities are available at DDA sports complexes in Delhi on revenue sharing basis. Only the agencies/firms/person having undertaken at least two similar works during the last three years in Government Department's / Public Sector Undertakings are entitled to apply. The quotation should reach the office of Secretary (SSC), DDA on or before 19.07.2019 upto 3:00 P.M. and will be opened on the same day at 3:30 P.M. in the presence of intending quotationers. The quotationer should be registered with the Department of GST and supposed to furnish a copy of GST registration along with the quotation.

डीडीए की ओर से सील मद रेट दर कोटेशन को पेशवर खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों से सहायक खेल प्रशिक्षकों / एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित खेल विषयों में कोचिंग संचालित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए राजस्व आधार पर दिल्ली में डीडीए खेल परिसरों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम दो समान कार्य करने वाली एजेंसियों / फर्मों / व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार है। यह उद्घरण 19.07.2019 को या उससे पहले सचिव (SSC), डीडीए के कार्यालय में पहुंचना चाहिए 3: 00 बजे और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे खोला जाएगा। इच्छुक कोटेशनर्स की उपस्थिति में। कोटेशन करने वाले को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कोटेशन के साथ जीएसटी पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए

Name of work :-Provide Coaching Services at Saket Sports Complex,DDA

SH:-Conducting Coaching in Saket Sports Complex DDA on revenue sharing basis for Swimming.

S.N	Description of items	Qty.	Percentage of fee share to DDA
1	Swimming Coach for conducting swimming coaching in SSC on monthly share basis. Note :- (Minimum DDA share 50%)	3 Months 01.07.2019 or from the actual date of start to 30.09.2019	

TERMS & CONDITIONS: -

- Nothing extra shall be paid on a/c of octroi, cartage etc.
ऑक्ट्रॉई, कार्टेज आदि के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा
- The validity of the quotation is 60 days from the date of opening of the sealed quotations.
सील किए गए कोटेशन के खुलने की तारीख से कोटेशन की वैधता 60 दिनों की है
- No T & P shall be issued through departmentally.
कोई टीएंडपी विभागीय रूप से जारी नहीं किया जाएगा
- The work shall be completed three months from the date of issue of the work order.
कार्य आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने में काम पूरा हो जाएगा
- Necessary statutory deductions will be made as applicable.
आवश्यक वैधानिक कटौती को लागू किया जाएगा।
- Debarred agency/ or individual shall not be permitted to participate in the tendering process.
निविदा एजेंसी / व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी

7. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debaring.
जिस किसी व्यक्ति को डिबार किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह एजेंसियों की ओर से अटॉर्नी की शक्ति रखता हो। किसी भी एजेंसी में पदच्युत व्यक्तियों को उलझाने के लिए भी उत्तरदायी है।
8. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agencies, which does not include proprietorship.
एजेंसियों के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है
9. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any damage do at site surrounding, the same shall be made good with in quoted rates.
कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि कोई क्षति आसपास की साइट पर होती है, तो उसी को उद्धृत दरों में अच्छा बनाया जाएगा
11. THAT for all intents and purposes the unskilled labour and suchlike personnel provided by the agency shall be the employees of the agency. The agency shall be responsible to provide all admissible and/or fringe benefits to such personnel in the same manner as the agency does to its other employees. The Delhi Development Authority shall not be responsible in any respect whatsoever for payment of any claims of the personnel provided by the agency.
सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रम और इस तरह के कार्मिक एजेंसी के कर्मचारी होंगे। एजेंसी इस तरह के कर्मियों को उसी तरह से सभी स्वीकार्य और / या फ्रिज लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी जैसा कि एजेंसी अपने अन्य कर्मचारियों को करती है। एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा
12. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, AAO and AE(Civil) / Manager of the Complex.
यदि बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत की गई दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, परिसर के सचिव, एएओ और एई (सिविल) / परिसर के प्रबंधक सहित एक समिति द्वारा बहुत से ड्रा निकाले जाएंगे।
13. No minor labour should be engaged at site.
कोई भी मामूली श्रम स्थल पर नहीं होना चाहिए
14. The quoted rate should be inclusive of all taxes/ Levies etc. and DDA would not pay/ reimburse any Tax/ Levi whatsoever.
उद्धृत दर सभी करों / लेवी आदि के समावेशी होनी चाहिए और डीडीए किसी भी कर / लेवी का भुगतान नहीं करेगा / चाहे जो भी हो।
15. The quotations received by post/ through courier shall not be entertained.
डाक / कूरियर के माध्यम से प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा
16. "That the quoted rates should invariably be written both in figures and words, failing which the NIQ shall liable to be rejected."
उद्धृत दरों को हमेशा आंकड़ों और शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए, यह विफल कि जिसे NIQ अस्वीकार कर दिया जाएगा।
17. Payment will be made after the entire satisfaction of Secretary/SSC and A.E.(Civil.).
भुगतान सचिव / एसएससी और एई (सिविल) की संपूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
18. The coaches proposed to be utilized for the actual imparting of coaching must have obtained a coaching qualification from SAI/ NIS/ YMCA/ Army/ Navy/ Air Force institute of Sports or any other recognized body. The DDA reserves the right to reject candidates in case the credentials of the authority awarding the certificate are not verifiable. The applicant will be required to produce all the original certificates of all the coaches. The criteria may be relaxed by the DDA if the applicant has been a National Champion in any Swimming Event for two years or more or has represented India at the international level on three or more occasions. Proof of such participation will be essential. Coaching experience of each individual should not be less than three years. Proof of having conducted coaching would be required duly signed by the Head of Institution wherever coaching was conducted by the individual.
कोचिंग के वास्तविक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले कोचों को SAI/ NIS/ YMCA/ सेना / नौसेना / वायु सेना के संस्थान या खेल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से कोचिंग की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकरण की साख सत्यापन योग्य नहीं होने की स्थिति में डीडीए उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदक को सभी कोचों के सभी मूल प्रमाणपत्रों का उत्पादन करना होगा। यदि आवेदक दो साल या उससे अधिक समय से किसी भी तैराकी कार्यक्रम में राष्ट्रीय चैंपियन रहा है या तीन या अधिक अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है, तो डीडीए द्वारा मानदंड में ढील दी जा सकती है। ऐसी भागीदारी के प्रमाण

आवश्यक होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का कोचिंग अनुभव तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कोचिंग के संचालन के प्रमाण की आवश्यकता होगी, जहाँ संस्था द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोचिंग संचालित की गई हो।

19. There will be one coach for every 10 trainees in one shift. In case the number of trainees, increases, or for any other reasons if required by the complex, the individual/ agency will provide additional coaches at short notice.
एक शिफ्ट में हर 10 प्रशिक्षुओं के लिए एक कोच होगा। यदि आवश्यक हो तो परिसर में प्रशिक्षुओं की संख्या, वृद्धि, या किसी अन्य कारणों के लिए, व्यक्ति / एजेंसी कम सूचना पर अतिरिक्त कोच प्रदान करेगी
20. The coach shall be in attendance on the prescribed hours and if coach is found absent from duty a penalty of ₹ 1000/- will be levied on the individual/ agency. In case the coach is unable to attend due to reasons beyond his control or requires leave of absence permission will be taken from the Secretary preferably in writing and the trainees informed. The DDA is liable to deduct a proportionate amount from the share paid to the coach for any absence the extends beyond two days at a time and 10 days in the entire period of contract.
कोच निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा और यदि कोच इयूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो / 1000 / - का जुर्माना व्यक्तिगत / एजेंसी पर लगाया जाएगा। यदि कोच अपने नियंत्रण से परे कारणों के कारण उपस्थित नहीं हो पाता है या अनुपस्थिति की छुट्टी की आवश्यकता होती है, तो सचिव से लिखित रूप से और प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाएगा। डीडीए किसी भी अनुपस्थिति के लिए कोच को भुगतान किए गए हिस्से से एक आनुपातिक राशि में कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक समय में दो दिन से अधिक और अनुबंध की पूरी अवधि में 10 दिन से अधिक हो
21. Coaching timing and duration will be as per DDA's Coaching Policy and these may be changed at the discretion of the DDA
कोचिंग समय और अवधि डीडीए की कोचिंग नीति के अनुसार होगी और इन्हें डीडीए के विवेक पर बदला जा सकता है
22. Coaching fee fixed by the DDA, which can be confirmed from the complex, will be collected by the DDA as per prescribed rate per hour per month from trainees. This excludes any charges for use of the pool that are not in the scope of the coaching contract.
डीडीए द्वारा निर्धारित कोचिंग शुल्क, जिसे परिसर से पुष्टि की जा सकती है, प्रशिक्षुओं से प्रति माह प्रति घंटे निर्धारित दर के अनुसार डीडीए द्वारा एकत्र किया जाएगा। यह पूल के उपयोग के लिए किसी भी शुल्क को शामिल नहीं करता है जो कोचिंग अनुबंध के दायरे में नहीं हैं।
23. Coaching is to be conducted in the morning from 08:00 a.m. to 10:00 a.m. and in the afternoon from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. on six days a week excluding holidays notified by the complex
सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे और दोपहर में 3:00 बजे से कोचिंग का आयोजन किया जाना है। शाम 5:00 बजे। परिसर द्वारा अधिसूचित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में छह दिन
24. The timings, duration of coaching etc. will be as per norms specified by the Secretary of the complex.
समय, कोचिंग आदि की अवधि, परिसर के सचिव द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी
25. Any individual/agency awarded the contract of providing manpower for deck area for the pool will not be considered for coaching at the same complex. Offers if any will not be considered and will be rejected.
किसी भी व्यक्ति / एजेंसी ने पूल के लिए डेक क्षेत्र के लिए मानव शक्ति प्रदान करने के अनुबंध से सम्मानित किया, एक ही परिसर में कोचिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा
26. The proposal submitted without required documents will not be entertained at all and summarily rejected.
आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत प्रस्ताव पर सभी का मनोरंजन नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा
27. Any conditional Proposals shall be summarily rejected.
किसी भी सशर्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा
28. Any Proposal received post/courier etc. shall be rejected.
पोस्ट / कूरियर आदि प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा
29. "Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA, as and when a deficiency of service is noticed, the same will be intimated to the agency/contractor for rectification. In case, there is no improvement/rectification within 24 hours of intimation proportionate deduction as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/contractor".
डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर, जब और जब सेवा में कमी देखी जाती है, तो उसे सुधार के लिए एजेंसी / ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के रूप में अंतरिम आनुपातिक कटौती के 24 घंटे के भीतर कोई सुधार / सुधार नहीं है, एजेंसी / ठेकेदार से किया जाएगा

AE(Civil) /SSC
ई एसएससी / (सिविल)

Copy to: -

1. Commissioner (Sports), DDA – for information please.
 आयुक्त (खेल), डीडीए - कृपया जानकारी के लिए
2. Director (System) for DDA Web site. Further it is supplemented through E-mail also.
 डीडीए वेब साइट के लिए निदेशक (सिस्टम)। इसके अलावा यह ई-मेल के माध्यम से भी पूरक है
3. Sr. A. O. (Sports), DDA
 सीनियर ए। ओ। (खेल), डीडीए
4. The Secretaries, All Sports Complexes.
 सचिव, सभी खेल परिसर
5. AAO, SSC
 एएओ, एसएससी
6. The Secretary, DDA Contractor Welfare Association, Vikas Minar, I.P. Estate, ND
 सचिव, डीडीए कांटेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, विकास मीनार, आईएस्टेट .पी., एनडी
7. The General Secretary, Delhi Contractors Welfare Association, 306, Masjid Moth, N.D.S.E.-Part-II, ND-49
 जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली कॉन्ट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 306, मस्जिद मोठ, एन.डी.एस.ई.-पार्ट- II, एनडी -49
8. The Secretary, Builder Association, E-18, Vikas Kuteer, ND
 सचिव, बिल्डर एसोसिएशन, ई -18, विकास कुल्टर, एनडी
9. Notice Board, SSC
 नोटिस बोर्ड, एसएससी

AE(Civil) /SSC
ई एसएससी / (सिविल)